

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.28()पंरावि/प्रशा-2/ग्रासे/स्था.पद/2018/2030

जयपुर,दिनांक- 4-5-18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद-सवाईमाधोपुर ।

विषय:- ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुए स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र.स.	सर्व श्री / श्रीमति / सुश्री	कहाँ से(ग्रा.प./पं0स0)	कहाँ को (ग्रा.प./पं0 स0)
1	श्री राजेश श्रीवास्तव	ग्रा.प. मेडी,पं.स. गंगापुरसिटी (स.मा.)	ग्रा.प. खटुपुरा (स.मा.) स्थानान्तरणधीन संशोधन कर ग्रा.प. बाडोलास पं.स. सवाईमाधोपुर
2	श्री बुद्धि प्रकाश साहू	ग्रा.प. डूंगरी खण्डार (स.मा.)	पं.स. बामनवास (स0मा0) स्थानान्तरणधीन निरस्त कर ग्राम.प. खटुपुरा पं.स. स0मा0
3	श्री सत्यवीर सिंह नरुका	ग्रा.प. खिरणी सवाईमाधोपुर	पं0स0 चौथ का बरवाडा स्थानान्तरणधीन निरस्त कर यथावत ग्रा.प. खिरणी
4	श्री सत्यप्रकाश गुप्ता	ग्रा.प. जोलन्दा सवाईमाधोपुर	ग्रा.प. खिरणी पं.स. सवाईमाधोपुर स्थानान्तरणधीन निरस्त कर यथावत ग्रा.प. जोलन्दा

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट:-

- 1.उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण /पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- 2.यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 3.यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 4.यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण /पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे ।

(राजेन्द्र शेखर मक्खड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव